संचिका सं0--7/बजट 46 -12/2021(खण्ड--2)- 454 (7A)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,भा.प्र.से.
सरकार के अपर सचिव ।

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

सेवा— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक— 12/11/2026

विषयः— **राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित योजना NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रू0 75,00,00,000/–(रूपये पचहत्तर करोड़) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू0 50,00,00,000/–(रूपये पचास करोड़) मात्र अर्थात कुल राशि रू0 1,25,00,00,000/–(रूपये एक अरब पच्चीस करोड़) मात्र के व्यय निमित अधिसीमा की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक–4727 दिनाक–27.10.2026 के द्वारा भारत सरकार से निर्गत आवटनादेश के आलोक में राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026–27 मे केन्द्र प्रायोजित योजना NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद मे 60:40 के अनुपात मे अनुमोदित केन्द्राश मद की राशि रू0 75,00,00,000/–(रूपये पचहत्तर करोड) मात्र एव इसके समानुपातिक राज्याश मद की राशि रू0 50,00,00,000/–(रूपये पचास करोड) मात्र अर्थात कुल राशि रू0 1,25,00,00,000/–(रूपये एक अरब पच्चीस करोड) मात्र के व्यय निमित अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त प्रसग में राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026–27 मे केन्द्र प्रायोजित योजना NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद की राशि रू0 75,00,00,000/–(रूपये पचहत्तर करोड) मात्र एव इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रू0 50,00,00,000/–(रूपये पचास करोड) मात्र अर्थात कुल राशि रू0 1,25,00,00,000/–(रूपये एक अरब पच्चीस करोड) मात्र के व्यय निमित अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग मे भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से आवंटनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है :–

Details of Fund receivable from Govt.of India(2026-27)

Sl. No.	Letter no.			Amount (Central Shares-60%)	Amount (State Shares-40%)	Total
1	**Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under national Health Mission**					
	G.27017/01/2026-27/NHM-F/FTS-2428167 dt.23.10.26	General	3601-06-101-16-06-31(GBS)	100400000	66933333	167333333
			Total	100400000	66933333	167333333
		SC	3601-06-789-80 01-31(GBS)	296400000	197600000	494000000
			Total	296400000	197600000	494000000
		ST	3601-06-796-86-01-31(GBS)	119600000	79733333	199333333
			Total	119600000	79733333	199333333
		DA-JGUA	3601-06-796-86-05-31	196000000	130666667	32666667
			3601-06-796-86-05-35	37600000	25066667	62666667
			Total	233600000	155733334	389333334
			Total (General+Sc+ST+ DA-JGUA)	750000000	500000000	1250000000

4— ज्ञातव्य हो कि वित्त विभागीय पत्रांक–410 दिनांक–12.06.2025 के परिप्रेक्ष्य में SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित स्कीमों को Component wise (General, SCSP & TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।

5— वर्तमान में बजटीय उपबंध में उपलब्ध राशि से केन्द्रांश एवं राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा–

क्र0 स0	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	केन्द्रांश मद की राशि (रुपये में)	राज्यांश मद की राशि (रुपये में)	कुल
1	मांग संख्या–20 के मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र योजना –उप शीर्ष–0219– एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन **विपत्र कोड– 20-2210-01-796-0219**, पी0एफ0एम0एस0 कोड –4063	31 04 - सहायक अनुदान- वेतन मद	4,67,00,000	3,11,33,333	7,78,33,333
		31 06 - सहायक अनुदान -गैर वेतन मद	1,00,00,000	66,66,667	1,66,66,667
2	मांग संख्या–20 के मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–03– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110– अस्पताल तथा औषधालय –उप शीर्ष–0203– एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन **विपत्र कोड –20-2210-03-110-0203**, पी0एफ0एम0एस0 कोड– 4063	31 04 – सहायक अनुदान- वेतन मद	4,04,00,000	2,69,33,333	6,73,33,333
		31 06 - सहायक अनुदान-गैर वेतन मद	6,00,00,000	4,00,00,000	10,00,00,000
3	मांग संख्या–20 के मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष 03– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना –उप शीर्ष–0201– एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन **विपत्र कोड –20-2210-03-789-0201**, पी0एफ0एम0एस0 कोड–4063	31 04 - सहायक अनुदान- वेतन मद	4,64,00,000	3,09,33,333	7,73,33,333
		31–06– सहायक अनुदान-गैर वेतन मद	25,00,00,000	16,66,66,667	41,66,66,667
4	मांग संख्या–20 के मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–03– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र योजना - उप शीर्ष–0202– एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन **विपत्र कोड– 20-2210-03-796-0202**, पी0एफ0एम0एस0 कोड –4063	31 -04 सहायक अनुदान- वेतन मद	27,72,00,000	18,48,00,000	46,20,00,000
		31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद	1,93,00,000	1,28,66,667	3,21,66,667
	कुल राशि		**75,00,00,000**	**50,00,00,000**	**1,25,00,00,000**

6— इस योजना के क्रियांन्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL), इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना एव राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल आदि Implimenting Agency के रूप मे नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु उपरोक्त कार्यान्वयन एजेसी को SNA-SPARSH के अन्तर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जाती है।

7— इस राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL), इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग होंगे । इसी प्रकार राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एव चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हेतु निकासी एव व्ययन पदाधिकारी क्रमश सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक/उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendant होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL), इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान (IGIMS), पटना एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेसियों हेतु नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार होगे। राज्य स्वास्थ्य समिति एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेसिया भारत सरकार एव वित्त विभाग के पत्र सख्या–879 दिनाक -24.01 2025 के दिशा–निदेशो के अनुरूप विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि व्यय करेंगे।

8— योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक–879, दिनाक–24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक–13 07.2023 एव Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनाक–07 08..2023 मे अंकित प्रावधानो के आलोक में किया जायेगा।

9— ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओ की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अतर्गत विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है:–

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम
Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission (NHM) (Scheme code-4063) on SNA SPARSH	GOBHSPARSHBR48NHM	01585501172	RBI

10— राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना वित नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र Form GFR12C मे उपलब्ध करायेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

11— प्रस्ताव एव प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

12— प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

13– राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मामले में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार कार्यालय से की जायेगी ।

14– राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15– यह सिर्फ राज्यादेश है । राशि का आवंटन CFMS के माध्यम से विमुक्त/ व्यय किये जाने से सबधित आवटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12.11.26.

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–7/बजट–46–12/2021(खण्ड–2)– 454(7A) /स्वा0, पटना, दिनांक– 12/11/2026

प्रतिलिपि–/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/वित्त प्रबधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/ सबधित सभी प्रमडलीय आयुक्त/ सबंधित सभी जिला पदाधिकारी/सबधित सभी सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक/उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एव Superintendant /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एव अन्य कार्यान्वयन एजेंसियो के लिए सबधित जिला स्तरीय कोषागार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सचिव, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अपर सचिव एव मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0), निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मत्रालय, रूम नं0–331–सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप निदेशक(ए0जे0एस0)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम न0–523- सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी– 07, 12/प्रशाखा के सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.11.26

सरकार के अपर सचिव ।